

सं0सं09/आ0-09-05/2016

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

डा0 (श्रीमती) सिन्धु सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल धमदाहा, पूर्णियां के विरुद्ध दिनांक 10.05.05 से लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप के आधार पर विभागीय संकल्प सं0 1002(9) दिनांक 28.09.2016 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में गठित आरोप को प्रमाणित पाया गया है।

डा0 (श्रीमती) सिन्धु सिन्हा से विभागीय पत्रांक 222(9) दिनांक 15.02.2017 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा की गई। डा0 (श्रीमती) सिन्धु सिन्हा के प्रत्युत्तर के अप्राप्त रहने के आलोक में विभागीय स्तर पर सम्यक समीक्षोपरांत लम्बी अवधि तक अनुपस्थिति के कारण बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना का पत्रांक-58 दिनांक 09.04.18 द्वारा आयोग की सहमति प्राप्त की गई।

डा0 (श्रीमती) सिन्धु सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल धमदाहा पूर्णियां को लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के लिये बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है।

डा0 श्रीमती सिन्धु सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, धमदाहा, पूर्णियां सम्प्रति वर्तमान पता 9/ए0 आर्य कुमार रोड, राजेन्द्र नगर पटना को बर्खास्त किया जाता है।

आदेश:- संकल्प की प्रति डा0 (श्रीमती) सिन्धु सिन्हा एवं सभी संबंधितों को निबंधित डाक से भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव,

/स्वा0, पटना, दिनांक: 23/05/2018

ज्ञापांक: 545(9)

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार पटना/अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पूर्णियां प्रमंडल पूर्णियां/ सिविल सर्जन पूर्णियां/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा0 (श्रीमती) सिन्धु सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल धमदाहा पूर्णियां सम्प्रति वर्तमान पता 9/ए0 आर्य कुमार रोड, राजेन्द्र नगर पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव बिहार लोक सेवा आयोग बिहार, पटना के उनके पत्रांक 58 दिनांक 09.04.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 2,3,5,7,8,10,17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,